UPAU010059652025

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, औरैया।

दण्ड प्रकीर्ण वाद संख्या–504/2025

राज्य बनाम अजय कुमार

दिनांक 14.03.2026

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्त/साक्षी अजय कुमार के द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का दिया गया है कि वह अपराध की स्वैच्छिक संस्वीकृति करना चाहता है। अतः उसका मुकदमा जुर्म इकबालिया बयान के आधार पर निस्तारित कर दिया जाये।

अभियुक्त अजय कुमार द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र पर उन्होंने स्वैच्छिक रूप से अपराध की संस्वीकृति किये जाने का कथन किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है, तदनुसार अभियुक्त जुर्म की संस्वीकृति के आधार पर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 344 के अन्तर्गत अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त अजय कुमार को उनकी स्वैच्छिक संस्वीकृति के आधार पर दण्ड प्रकीर्ण वाद संख्या 504/2025 राज्य बनाम अजय कुमार में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 344 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में 500/– रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(विकास गोस्वामी)
विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, औरैया।
J.O. Code UP 2393

Digitally signed by VIKAS GOSWAMI
Date: 2026.03.14 12:58:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court